भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.2659

जिसका उत्तर 16.03.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य

2659. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्य को 14600 किलोमीटर से घटाकर 12000 किलोमीटर कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मूल रूप से निर्धारित किए गए लक्ष्यों और बाद में संशोधित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;
(ग) क्या राजमार्ग निर्माण की गति कम हो रही है जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य बड़े अंतर से पीछे छूट रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने हाल ही में राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इसमें क्या-क्या कमियां देखी गई हैं;
(ङ) ओडिशा सहित वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और
(च) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण के लिए 12,200 किलोमीटर का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, और सभी कार्यान्वयन

एजेंसियों से उच्च निर्माण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निर्माण लक्ष्य (किमी)	उपलब्धि (किमी)
2022-23	12200	8064 (फरवरी-2023 तक)
2021-22	12000	10457
2020-21	11000	13227
2019-20	11000	10237

(घ) बाधाओं की पहचान करने और प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने और हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई राज्यों में लंबे समय तक मानसून और कुछ राज्यों में औसत से अधिक वर्षा के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माण प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्धता, रियायतग्राही /ठेकेदार की वित्तीय कमी, ठेकेदार/रियायतग्राही के खराब प्रदर्शन आदि से संबंधित मुद्दे/बाधाएं परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों के रूप में भी सामने आई हैं। मंत्रालय ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी हितधारकों से आपसी समन्वय करके ऐसे मुद्दों/बाधाओं को हल करने और प्रगति में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नही उठता।

*****